

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(50)वित्त-1(1)आय.व्य / 2016

जयपुर, दिनांक : 14.3.2018

स्वीकृति संख्या:-79//2017-18

कोषाधिकारी,  
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 53.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ60) टीआरआई/प्रस्ताव/2017-18 स्वीकृति सं. 70/2017-18 दिनांक 08.03.2018 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 53.00 लाख (अक्षरे रुपये तरेपन लाख) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण  
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण  
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना  
(02) - जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ  
[16] - जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान  
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(केन्द्रीय सहायता) राशि रुपये 53.00 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

*Wjhr*  
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

*Wjhr*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)